# ग्रामीण कार्य विभाग
# बिहार सरकार

**अधिसूचना**

अ०सं० :–3/अ०प्र०–1–340/13 1105 /पटना, दिनांक :– 13.8.21

श्री राधेश्याम राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निगरानी विभाग द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बाराचट्टी से मध्य विद्यालय डाढ़ खजौली पथ निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के लिए उत्तरदायी मानते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री राम से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। विभागीय निदेश के आलोक में श्री राम द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरान्त अस्वीकार योग्य पाते हुए आरोप पत्र गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–2415 अनु० दिनांक 29.07.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत मुख्य अभियंता–4, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 8010 अनु0 दिनांक 30.08.2017 द्वारा श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसमें श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप को अप्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से असहमति संसूचित करते हुए असहमति के बिन्दुओं पर श्री राम से विभागीय पत्रांक 2705 अनु0 दिनांक 05.09.2019 द्वारा द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

5. श्री राम द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित नहीं किये जाने के कारण एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए श्री राम के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती अगले पाँच वर्षों तक किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

6. इसी क्रम में श्री राधेश्याम राम के दिनांक–29.02.2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के कारण श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या–1246–सह–पठित ज्ञापांक–1247 दिनांक–03.07.2020 द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

7. श्री राधेश्याम राम, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध अनुमोदित शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक 1438 अनु0 दिनांक 03.09.2020 द्वारा सहमति/परामर्श की मांग की गयी।

8. विभागीय शास्ति प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 619 दिनांक 28.06.2021 द्वारा सहमति संसूचित की गई है।

अतएव विभागीय निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री राधेश्याम राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 43 (बी) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है –

(i) पेंशन से पाँच प्रतिशत (05%) की कटौती अगले पाँच (05) वर्षों के लिए

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह० 12/8/2021

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

**ज्ञापांक** :–3/अ०प्र०–1–340/13 1106 /पटना, दिनांक :– 13.8.21

**प्रतिलिपि** :–ई कोषांग, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी०डी० एवं दो अतिरिक्त हार्ड कॉपी के साथ गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह० 12/8/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1106 पटना/दिनांक :– 13.8.21

**प्रतिलिपि** :–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सहरसा एवं निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 12/8/2021 ह० 12/8/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1106 पटना/दिनांक :– 13.8.21

**प्रतिलिपि** :–बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 619 दिनांक 28.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 12/8/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1106 पटना/दिनांक :– 13.8.21

**प्रतिलिपि** :–प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, दरभंगा एवं सहरसा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी एवं क्षेत्रीय प्रयोगशाला–सहरसा/प्रशाखा पदाधिकारी–5 एवं 6/श्री राधेश्याम राम, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता :–मो0–आर0के0पुरम, ड्रीम ज्वेल अपार्टमेन्ट, ब्लॉक–सी0–608, डाकघर+थाना– दानापुर, पटना–801503 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 12/8/2021

विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1106 पटना/दिनांक :– 13.8.21

**प्रतिलिपि** :–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

14/8/2021
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–340/13 1106 पटना/दिनांक :– 13.8.21

**प्रतिलिपि** :–आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/8/2021
विशेष सचिव
अनु